International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 06, No. 01(II), January - March, 2024, pp. 105-110

कृषको के विकास में सहकारी समितियों का योगदान – छ.ग. के संदर्भ में

सिध्देश्वरी सिन्हा*
डॉ विनय शर्मा**

सार

वैश्विक स्तर पर किसी भी राष्ट्र की उन्नति का मूलभूत स्त्रोत उद्योग अथवा कृषि है। विकसित और विकासशील देशों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए साख एवं वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कृषि है। राष्ट्रीय आय का अधिकांश स्त्रोत कृषि से संबंधित उद्योग से ही है। भारत देश की दो तिहाई जनसंख्या कृषि कार्य से ही अपने जीवन का निर्वाह करती है। भारत गाँवों का देश है। खेती ग्रामीण क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य है और ग्रामीण क्षेत्र में किसानो की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण कृषि उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि की उत्थान और किसानो के विकास के लिए वित्तीय व साख सहायता की आवश्यकता होती है। किसानो को प्रायः अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण कृषि कार्य के लिए साख के साथ खाद् बीज उर्वरक तथा सेवा सहकारी समिति से धान की खरीदी समिति के माध्यम से होने के कारण सहकारी समितियां और किसान स्पष्ट रूप से जुड़े रहते है। जनतांत्रिक साधन के रूप में और स्वयंसेवी या पारस्परिक सहायता पर आधारित लोक संस्थाओ के रूप में स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओ का संघ तथा विशेष रूप से समाज के कमजोर किसानो के प्रति हेने वाले शोषण को रोकने व उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु सहकारी समितियां अपना महत्व पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। किसानो के विकास के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से पशुपालन, मत्स्यपालन हेतु भी सहकारी समितियों से ऋण दिया जा रहा है। कृषकों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

शब्दकोशः *कृषक, साख, सहकारी समितियां*

प्रस्तावना

कृषि और किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशीला है। समाजिक आर्थिक व्यवस्था में लोगो के जीवन निर्वाह में आर्थिक स्तर का साधन रोजगार का प्रमुख स्त्रोत और विदेशी मुद्रा संग्रह का माध्यम कृषि से है। देश में कृषि उत्पादन विकास को बढ़ाने तथा कृषको की आर्थिक स्तर में वृध्दि कर आय बढ़ाने के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियो का कार्यान्वयन कर किसानो के विकास में सहायता प्रदान किया जा रह है। वर्तमान में देश ने खाद्यान फसलो पर आत्मनिर्भता हासिल कर कई देशो को कृषि फसलो के विविध प्रकार का उत्पाद किसानो द्वारा निर्यात भी किया जा रहा है। किसानो ने कृषि विकास की ओर गति करते हुए परम्परागत खेती से आधुनिक और तकनीकी खेती की ओर आर्कषण ध्यान केन्द्रित किया है। देश की अर्थव्यवस्था का मूल और अधिकांश जनसंख्या के जीविकोपर्जन कृषि व कृषक पर आधारित है। किसानो का विकास व ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति समाज की प्रगति का सूचक है। विश्व का 10 वा सबसे बड़ा हिस्सा कृषि योग्य भूमि का संसाधन भारत देश के पास स्थित है, जिसमें विश्व की 60 में से 46 प्रकार की मिट्टी पायी

* पी–एच डी. शोधार्थी, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग एवं शोध केन्द्र, कल्याण स्नातकोत्तर महाविधालय भिलाई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
** शोध निदेशक, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग एवं शोध केन्द्र, कल्याण स्नातकोत्तर महाविधालय भिलाई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

जाती है। वैश्विक स्तर पर भारतीय कृषि उत्पादित वस्तुए जैसे मसाला दाल दूध चाय आम केला तथा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल गेहू सब्जियां व फलो कपास और तिलहन गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।

1 नवम्बर सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से पृथक होकर एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ । राज्य निर्माण होने के साथ ही कृषको के विकास और कृषि उत्पादकता में प्रगति के लिए आवश्यक कार्य किये गये। प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि और कृषि आधरित उधोगो व उर्जा एवं इस्पात के कार्य पर आधारित है। छत्तीसगढ़ भारत के खनिज समृध्द राज्यों में से एक राज्य है। यहां पर चूना पत्थर अयस्क लौह फॉस्फेट मैंगनीज बाक्साइट कोयला का भंडार है। प्राकृतिक संसाधन का इतना अधिकतम भंडार होने के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश 4.78 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 35 प्रतिशत है। राज्य को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। धान के अलावा यहं पर मक्का, कोदो, कुटकी, बाजरा, अरहर, कुल्थी, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन, सूरजमुखी, सरसो, अलसी, उर्द, मूंग इत्यादि फसल उगायी जाती है। इन विभ्न्नि प्रकार की फसले पोर्टफोलियो राज्य की कृषि समृध्दि और उत्पादकता को दर्शाता है। जो आर्थिक और खाद् सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। कृषि का उत्थान और कृषको का विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नो के फलस्वरूप राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरूस्कार प्राप्त हुआ है।

किसान और सहकारिता

सहकारिता वास्तव में कृषको एवं गैर कृषको के लिए एक लोकतांत्रिक साधन का ऐसा प्रारूप है, जो पारस्परिक सहायता पर आधारित सहकारी संस्थाओ व बैंकिग संस्थाओ को संगठित कर उनका विकास करना है। किसानो को आर्थिक साख की आवश्यकता कृषि उत्पादन कार्य के लिए बीज, खाद्, कृषि उपकरणो इत्यादि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने व उपज की बिक्री करने के लिए साख की जरूरत पड़ती है। यदि कृषक इन कार्यो के लिए ऋण लेता है, और फसल बिक्री के बाद उस उधार को वापस कर ब्याज चुकाने में असुविधा नही होती। परन्तु कृषि का व्यापारिकरण के बाद इन कार्यो के लिए ऋण की मांग में वृध्दि हुई है। साहूकार व महाजन भी न तो इतना ऋण देते और ऋण देने में भी बड़ी ब्याज दर वसूल करते जिससे न केवल कमजोर वर्ग का बल्की गरीब किसानो का भी शोषण होता है। किसानो को ऋण उत्पादन के साथ उपभोग के लिए भी लेने होते है बहुत सारे कृषको के पास फसल के बिक्री के बाद इतनी अधिक आय नही बचती कि वे उस आय के आधार पर दूसरी खेती कर फसल तैयार होने तक अपने जीवन की आर्थिक आवश्यकता का निर्वाह कर सके। इसलिए वह अपने परिवार के उपभोग संबंधी जरूरतो को पूरा करने के लिए ऋण लेता है। जो किसान सामान्य स्थितियों में उपभोग के लिए ऋण नही लेता वह भी खराब मौसम अथवा फसल खराब हो जाने पर इस तरह के ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाता है। परिणामतः मजबूर होकर अपनी जरूरतो के लिए साहूकार व महाजनो से उधार लेना पड़ता है। कृषको को उपभोग के अलावा अन्य बहुत सारे अनुत्पादक कार्यो के लिए भी ऋण की आवश्यकता होती है जैसे – सामाजिक संस्कारण में विवाह, मृत्यु भोज, पुत्र जन्मोत्सव इत्यादि तथा कभी कभी समाजिक समस्या मुकदमा दुर्घटना के लिए भी ऋण लेते है। काश्तकारो पर लगान का भार अधिक होता है, फसल के ठीक न होने पर उन्हे लगान की अदायगी के लिए ऋण लेने होते है। किसान जो भी कर्ज ऋण लेता है उन्हे चुका पाना आसान नही होता जिसके बदले में किसानो को महाजन और साहूकारो के शोषण का शिकार होना पड़ता है। परन्तु आजकल अधिकांश उत्पादन कार्यो के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुकुटपालन, बागवानी लिए साख की आवश्यकता को सहकारी समितियां तथा वाणिज्य बैंको के द्वारा पूरा किया जाता है। कृषि अथवा गैर कृषि संबंधी कार्यो के लिए सहकारी समितियों के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। भारत में सहकारी आंदोलन का शुभारम्भ करते हुए ग्रामीण क्षेत्रो में सहकारी समिति के माध्यम से सरल तरीको से ऋण देने की व्यवस्था की, आधिकारिक रूप से प्रारम्भ सन् 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुआ यहं सहकारिता के क्षेत्र में पहला कदम था। इसके अंतर्गत प्रारम्भ में केवल दो शहरी और

ग्रामीण क्षेत्रो की समितियों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के पारित होते ही सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सरकारो द्वारा अनेक शैक्षिण कार्यक्रम चलाये तथा इसके कार्य में गतिशीलता आई। जिससे सतत् सहकारिता आंदोलन में प्रगति स्पष्ट रूप से देखी गयी। आगे चल कर इस अधिनियम में कुछ कमियां और असफलता सामने आने लगी जिसमें सुधार करने के लिए सन् 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में शहरी और ग्रामीण समितियों के बीच होने वाले अंतर को समाप्त कर दिया गया। सहकारिता आंदोलन के प्रसार में समुचित संरक्षण मिल जाने से ऋण देने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यो के लिए भी समिति का निर्माण किया गया। सन् 1997 में सहकारिता राज्य के विषय में संशोधित कर सहकारी अधिनियम को सरलतम रूप प्रदान किया गया। सन् 1999 में छत्तीसगढ़ को सहकारी संस्थाओ के विकास का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 77 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का निर्माण किया गया है, तथा अधिनियम 1962 के तहत संस्थाओ की उपविधियों एवं सेवा अधिनियम के अंतर्गत कार्य संचालन के प्रति निहित है। वर्तमान मे इस अधिनियम और नियम के अनुरूप राज्य की समस्त सहकारी समितियां क्रियाशील है। सहकारी संघ के संगठन की धारण न केवल किसानो को सस्ते ऋण प्रदान करना है, वरन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रो में ग्रामीण तथा शहरी जनता के निर्धन व कमजोर वर्ग के स्तर को उंचा उठा कर उनका कल्याण करना है। सहकारिता के सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को ऋण कृषि कार्य के लिए दिया जाता है। धान की खरीदी समिति से होने के कारण सीधे किसाना इसे जुड़े रहते है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषको को शासन की विभिन्न योजनाओ की जानकारी देते है। सहकारिता व कृषि मूल रूप से किसानो से जुड़े विभाग है। जो किसानो के विकास और उन्नति के लिए कार्य करता है।

उद्देश्य

- किसानो के विकास के लिए सहकारी संस्थाओ के योजना अध्ययन
- कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन, वानिकी के क्षेत्र ऋण सुविधा का अध्ययन

शोध प्रविधि

शोध अध्ययन पूर्ण रूप से द्वितीयक आकड़ो पर आधारित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी समितियों का एक अध्ययन है, इन समितियों से किसानो के विकास में होने वाली सहयोग और योगदान से है।

किसानो के विकास के लिए सहकारी समितियों से मिलने वाली ऋण संबंधी मद्द

- **ब्याज मुक्त ऋण –** प्रदेश में किसानो के विकास और उनके जीवन स्तर को उंचा उठाने के लिए शासन द्वारा सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1/4/2014 को अल्पकालीन कृषि ऋण शुन्य ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जाती है। किसानो को दी जाने वाली अल्पकालीन ब्याज मुक्त कृषि ऋण –

क्र.सं.	वर्ष	ऋण वितरण की राशि करोड़ो में	कृषको की संख्या लाखो में	ब्याज दर प्रतिशत में
1.	2018 – 2019	3692	9.94	0 :
2.	2019 – 2020	4600	11.34	0 :
3.	2020 – 2021	5048.03	14.72	0 :
4.	2021 – 2022	5457.88	12.99	0 :
5.	2022 – 2023 अप्रैल से सितम्बर	5563.59	14.02	0 :

स्त्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालन का वार्षिक प्रतिवेदन 2018/19, 20/21/22/23

किसानो को अपनी फसलो का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उपकरण व फसल संबंध कार्य की आवश्यकता होती है जैसे भूमि का सुधार करवाना, जुताई, बुवाई, निदाई प्रत्यारोपण, उन्नत बीज उर्वरक के कृषि

कार्य के लिए ऋण दी जाती है। जिससे कृषको के आर्थिक स्तर में वृध्दि हो और उनका विकास हो सके । कृषको को खरीफ फसलों अथवा रबी फसलो के लिए सहकारी समितियों के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। इससे उनको दूसरे फसल के लिए भी आर्थिक मद्द मिल जाती है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित द्वारा किसानो को प्रदत्त ऋण

फसल	भूमि	राशि (रूपये)	निश्चित समय अवधि ब्याज दर	अनिश्चित समय अवधि ब्याज दर
धान	प्रति एकड़	30,000	0 :	4 :
चना	प्रति एकड़	20,000	0 :	4 :

स्त्रोत :– जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग छ.ग. का वार्षिक प्रतिवेदन 2022–2023

- **राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन** – राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा किसानो के उत्पादित फसलो को खरीदा जाता है, तथा उसके उचित उपार्जन का उन्हे उचित मुल्य प्रदान किया जाता है। जिसका लाभ किसानो को उचित मूल्य पर फसल का उपार्जन कर विक्रय करने से मिलता है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में अभी लगभग 2058 प्राथामिक कृषि साख समितियां कार्यरत है, जिसमें से 2311 उपार्जन केन्द्रो के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानो से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाता है। कृषको को पंजीयन संबंधित किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए सभी उपार्जन केन्द्र कम्प्यूटराईज किये गये। किसाने के उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदी –

क्र.सं.	वर्ष	समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी (लाख टन में)	धान खरीदी हेतु पंजीकृत किसानो की संख्या (लाखों में)
1.	2018 – 2019	80.38,031	19.65
2.	2019 – 2020	14.96,442,38	18.38
3.	2020 – 2021	92.02,392,24	20.53
4.	2021 – 2022	97.98,580,76	21.77

स्त्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालन का वार्षिक प्रतिवेदन 2018/19, 20/21/22/

- **कृषको का के. सी. सी. कार्ड** – कृषिको के लिए ऋण लेने में सरलत हो इसके लिए किसानों को के. सी.सी. कार्ड दिया गया है। के.सी.सी कार्ड के द्वारा कृषक किसी भी स्थान से किसी भी बैंक से ऋण ले सकते है। इस कार्ड से आम तौर पर खेती के लिए के.सी.सी के माध्यम से बैंको द्वारा ऋण वितरण की जाती है। इस ऋण की सुविधा सभी किसान ले सकते है, यहं वाणिज्यिक बैंको, सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंको के द्वारा कार्यन्वित किया जाता है। लघु किसान सीमान्त किसान मध्यम किसान सभी कृषको को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। किसानो को कृषि कार्य के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है, और के.सी.सी कार्ड से ऋण लेने में सुविधाजनक हो इसके लिए किसान के.सी.सी. ऋण को लचीला कर दिया जिससे ऋण लेने में आसानी हो। कृषक फसल का उत्पादन अच्छे से कर सके और अपने आय के स्तर से उचा उठा सके इसके लिए कृषि के रूप में दर्जा मिलने वाले पशुपालन मत्स्यपालन से जुड़े लोगो को के. सी.सी. कार्ड सुविधा प्रदान की गई है।

ऋण की व्यवस्था

- **अल्पकालीन ऋण** – कृषको को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिये जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त होता है। इस ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपय तक है। किसानो को अल्पकालीन ऋण खेती करने के लिए दिया जाता है। यहं ऋण ग्रामीण क्षेत्रो में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाता है। कृषको को खेती करने के लिए उन्हे बीज रोपण के लिए मजदूर, कृषि उपकरण, बीज उर्वरक कीटनाशक, बुवाई, निदाई ,कटाई के लिए श्रम इत्यादि तथा फसलो की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किये जाने वाले तकनीक के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है वह अल्पकालीन ऋण है। किसानो को कृषि कार्यो के लिए अपेक्षित आर्थिक पूंजी कम ब्याज दर पर मिल सके तथा साहूकार

महाजन के शोषण से मुक्त करने के लिए, अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण की व्यवस्था की गयी। गौ पालन, दुध डेयरी, मत्स्य पालन, कुकुटपालन, के जैसे व्यवसाय के लिए अल्पकालीन ऋण किसानो को दिया जाता है। किसानो का विकास कृषि के उन्नत फसलो और उनका आय बढ़ने के साथ होता है, राज्य में कृषि के साथ गौपालन, मत्स्यपालन, जैसे व्यवसाय को भी कृषि का दर्जा दिया गया है, जिससे किसानो को अपने परम्पारिक पशुपालन के लिए ऋण उपलब्ध हो सके और वह उनका पालन कर सके व जरूरत पड़ने पर ऋण का लाभ लेकर अपना विकास कर सके जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ऊपर उठ सके। अल्पकालीन ऋण की समय अवधि 6 माह से 18 माह तक होती है।

किसानो को कृषि विकास के साथ कृषि संबंध व्यावसाय के लिए दिया जाने वाला ऋण

व्यवसाय	इकाई	ऋण राशि (रूपये)	ब्याज दर
गौपालन	एक दुधारू गाय	30000.00	0:
भैसपालन	एक दुधारू भैस	35000.00	0:
मत्स्यपालन	एक हेक्टयर तालाब	150000.00	0:
पोल्ट्री	100 ब्रायलर	10000.00	0:
भेड़ / बकरी पालन	(10+1)	30000.00	0:

स्त्रोत :– जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग छ.ग. का वार्षिक प्रतिवेदन 2022–2023

- **मध्यकालीन ऋण वितरण –** मध्यकालीन ऋण किसानो को फसल में सुधार के लिए तारबंदी, कम्पोस्ट पाईप लाइन फलदार एवं औषधियां पौधा तथा रतनजोत जैसे समाधानध्द रोपणए उधान विकास व भू जल संरक्षण पम्पसेट सिंचाई के साधन विकसित करना स्प्रिंकलर सिंचाई ,कच्चा पक्का फार्म का निर्माण करना। लघु कृषक और सीमांत कृषक को ऋण स्वीकृत करना। यहं ऋण को चुकाने का समय 18 माह से 5 वर्ष तक होती है।
- **दीर्घकालीन ऋण –** कृषको को अल्पकालीन ऋण के साथ दीर्घकालीन ऋण की जरूरत पड़ती है। भूमि पर स्थायी सुधार करने ट्रैक्टर, ट्यूबेल, लघु सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। छोटे किसानो के लिए यह सब कार्य के लिए पूंजी की कमी के कारण नही कर पाते परन्तु कृषि अन्य उपकरणों की व्यवस्था के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जिसके लिए वह दीर्घकालीन ऋण लेती है और अपनी कृषि संबंध जरूरतो को पूरा कर फसल उत्पादन को बढ़ाता है। कृषि के साथ कृषक की भी स्थिति में इससे सुधार आता है। दीर्घकालीन ऋण की समय अवधि 5 वर्ष से अधिक होता है।

कृषको के विकास में सहकारिता को महत्व

सहकारी समितियां जनता के समाजिक आर्थिक उत्थान करना तथा लोगो को शोषण से संरक्षण प्रदान करनी वाली सरकारी संस्था है। आधुनिक वातावरण में परिस्थितियो का परिवर्तन और विकास के द्वारा सहकारी संस्था एक विश्वसनीय साधन बन गयी है। सहकारी अधिनियमो में हुए संशोधनों से सहकारिता का नवीन रूप आर्थिक सामाजिक संदर्भो में अपनी भूमिका अधिक उत्तरदायी एवं योग्यता पूर्ण निभा सके। यह विभाग परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में होगा जिससे सहकारिता अथवा उनसे जुड़े किसान, कारीगर मजदूर, बुनकर, मछुवारे अनुसूचित जाति तथा जन जाति पिछड़े वर्गो व महिलाओ के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सक्रिय योगदान प्रदान कर इनका विकास कर सके। सहकारी समितियां किसानो को कृषि के लिए अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक रासायिनिक खाद् जैविक खाद् कृषि उपकरण अथवा साख की सुविधा प्रदान करती है, साथ ही किसानो को उनके विपण्य का अधिक्य उचित मूल्य में दिलाने में सहायक होती है। सरकार द्वारा दिये जाने वाले समर्थन पर धान की खरीदी ,व खरीफ फसलो के लिए खाद् सहकारी समितियों के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। सहकारी समिति एक या दो गांव की जनसंख्या के हिसाब से स्थापित एक संस्था है। गांव में स्थापित होने के कारण ये संस्था किसानो से सीधे रूप से जुड़ी होती है। कृषि कार्यो के अलावा ये गैर कृषि क्षेत्र में भी ग्रामीण जनता के हित के लिए कार्य करने वाली संस्था के रूप में अपना योगदान प्रदान करती है।

प्रदेश में सरकार द्वारा किसानो के विकास के लिए खरीफ फसल के साथ रबी फसलो के लिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ अब पशुपालन में गौपालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी जैसं व्यवसाय के साथ किसानो को जोड़े रखने के लिए ऋण की सुविधा प्रारम्भ की गयी जिससे किसानो कृषि के साथ पशुपालन कर अपने आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर विकास कर सके। सहकारिता के माध्यम से किसानो की आय मे सुधार हुआ है, उनकी उन्नति कृषि क्षेत्र में हो रहे प्रगति का रूप है। संस्थाओ के माध्यम सहकारी योजानाओ के लाभ तक पहुचने का यह बहेतरीन रास्त है क्योकि किसान और संस्था तो जुड़े हुए होते है। कृषि साख समितियां कृषि ऋण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योकि बिना सहकारी संस्थाओ के ब्याज मुक्त ऋण किसानो को नही मिल सकती और न ही उन्हे उर्वरक खाद् बीज की सुविधा प्राप्त होती जिससे उनका विकास होना भी सम्भव नही है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषको के लिए दिया जाने वाला कुल संस्थागत साख के लगभग 55 प्रतिशत से अधिक भाग सहकारी साख समितियों द्वारा प्राप्त होता है। सहकारी समितियां किसानो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाति है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र के विस्तार व विकास में अथवा फसल उत्पादन की बढ़ोत्तरी में सहकारी बैंको की भूमिका अहम रहती हैं

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओ को सहायता के रूप में ऋण अंशपूंजी दिया जाता है। अधिकांश बैंको में विभिन्न प्रकार के योजनाओ से कृषको को ऋण देने की सुविधा व विपणन समितियों में अंशपूजी अनुदान, प्रथामिक सहकारी समितियों की कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान एवं उपभोग ऋणो के संबंध में किसानो को सुविधा मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रो में सशक्त सहकारी समितियों के विकास से साहूकारो व महाजनो के महत्व में कमी हो रही है। किसानो को सहकारी समितियों से ब्याज मुक्त ऋण तथा कम ब्याज में भी ऋण उपलब्ध होने से कृषि कार्य में कृषको को बहोत सहोलियत होने लगी। समितियों से कम ब्याज में ऋण मिलने से साहूकारो द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर भी कम हुई है। सहकारिता मितव्ययिता बचत और उत्पादक कार्यो में विनियोग करने की वृत्ति को कृषको में प्रोत्साहित किया। कृषको में केवल उपभोग वस्तु के लिए जैसे जन्मोत्सव, मृत्यु भोज, विवाह श्राध्द इत्यादि अनावश्यक खर्च करने के कार्य को निरूत्साहित किया है। कृषि कार्य के लिए साख, उन्नत बीज, उपकरण खाद् दवाई कृषि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर देकर आधुनिक कृषि पध्दति अपनाने में सहकारी समितियों ने कृषको को प्रोत्साहित किया। सहकारी विपणन समितियां उपभोग प्रकिया इत्यादि समितियों ने कृषको में व्यापारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और कृषि का व्यापारीकरण से अधिक लाभ अर्जित कर उसके द्वारा कृषि उद्योग का विकास करने में सहायता की, शहरी क्षेत्रो में सहकारी उपभोक्ता समितियों ने अथवा ग्रमीण क्षेत्रो में सेवा सहकारी समितियों ने मंहगाई के दिनों में आवश्यक उपभोग वस्तुएं लोगो को उचित मूल्य पर प्राप्त कराकर, उन्नत व्यापार, उन्नत खेती के साथ उन्नत जीवन शैली में उनकी सहायता की है। सहकारी समितियों के द्वारा दोनो फसलो के लिए खाद् ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि संबंधी सरकारी योजनाओ को समितियों के माध्यम से किसानो तक सूचना उपलब्ध कराया है। बीज खाद् वितरण समर्थन मूल्य पर धान खरीदना, पशुपालन मत्स्यपालन, कुकुटपालन संबंधी ऋण प्रदान कर कृषको की मद्द सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालन का वार्षिक प्रतिवेदन 2018 – 2019
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालन का वार्षिक प्रतिवेदन 2020 – 2021
3. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालन का वार्षिक प्रतिवेदन 2022 – 2023
4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग छ.ग. का वार्षिक प्रतिवेदन 2022–2023
5. सोमनाथे पदमा – International Journal of Advances in Social Sciences 2021 ;9 (3)129-2
6. सोनी आर.एन., मल्होत्रा संगीता कृषि अर्थशास्त्र एस. चंद कम्पनी लिमिटेड़ 2018–2019
7. कुमार राहुल एवं, कृषि उन्नति (कृषि विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका) 2019

❖◆❖